संख्या-06/2022/534/क.नि.प्र./26-3-2022-18(65)/98

प्रेषक,

राकेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आहरण एवं वितरण अधिकारी,
समाज कल्याण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ लखनऊ: दिनांक: 18 जुलाई,2022

समाज कल्याण विभाग

विषय-: वित्तीय वर्ष 2022-2023 में अनुदान संख्या 80- के अन्तर्गत सचिवालय स्तर पर समाज कल्याण विभाग के अधीन गठित कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ में कार्यरत कर्मचारियों के अधिष्ठान व्यय हेतु वित्तीय स्वीकृत निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-04/2022/317/क.नि.प्र./26-3-2022 दिनांक 29 अप्रैल, 2022 द्वारा शासन स्तर पर समाज कल्याण विभाग के अधीन गठित कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ के कर्मचारियों के अधिष्ठान व्यय हेतु अनुदान संख्या 80-के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 44.19 लाख में से लेखानुदान अवधि हेतु रू0 14.73 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। अब वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07 जून,2022 में निहित व्यवस्था के अनुसार पूर्व में स्वीकृत धनराशि को समायोजित करते हुए प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 29.46 लाख (रू0 उनतीस लाख छियालिस हजार मात्र) को निम्नलिखित मदों में कालम-4 के अनुसार आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रूपये में)

मद	आय-व्ययक प्राविधान	पूर्व में निर्गत धनराशि	स्वीकृत की जा रही धनराशि
1	**2**	**3**	**4**
01-वेतन	26.78	8.92	17.86
03-मंहगाई भत्ता	9.91	3.30	6.61
04-यात्रा व्यय	0.20	0.06	0.14

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

06-अन्य भत्ते	1.10	0.36	0.74
7-मानदेय	0.10	0.03	0.07
08-कार्यालय व्यय	0.35	0.12	0.23
11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	0.35	0.12	0.23
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	0.75	0.50	0.25
45-अवकाश यात्रा व्यय	0.50	0.10	0.40
49-चिकित्सा व्यय	0.50	0.16	0.34
51-वर्दी व्यय	0.15	0.05	0.10
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राजकीय)	2.00	0.36	1.64
53-मकान किराया भत्ता	1.50	0.65	0.85
योग-	44.19	14.73	29.46

(रू0 उनतीस लाख छियालिस हजार मात्र)

2- उक्त स्वीकृति पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-80-समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-793-अनुसूचित जाति की संघटक योजना के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता-04-सचिवालय स्तरीय अधिष्ठान की सुसंगत इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07 जून,2022 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राकेश कुमार सचान
उप सचिव।

<u>पृ.संख्या-06/2022/534/क.नि.प्र./26-3-2022 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही कार्यवाह हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन,लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- अनुभाग अधिकारी, लेखा, समाज कल्याण विभाग,उ0प्र0 शासन।

5- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4,उ0प्र0 शासन।

6- सांख्यकीय निदेशालय, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ।

7- एन.आई.सी. की प्रति।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राकेश कुमार सचान
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।